Fourteenth Loksabha

Session : 4
Date : 16-03-2005

Participants : Pateriya Smt. Neeta

>

Title: Need to allot Unit Patvari Halka' numbers for extending the benefits of crop insurance scheme to farmers.

श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी) : अध्यक्ष महोदय, किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पाया है क्योंकि इसमें बहुत विसंगतियां हैं। ...(व्यवधान) किसान अपनी फसल का बीमा कराने में पैसा खर्च करता है लेकिन फसल नट होने पर बीमा का लाभ नहीं ले पाते। मध्य प्रदेश में खरीफ की फसल इल्लियों द्वारा नट कर दी गयी एवं रबी की फसल ओलावृटि से नट हो गयी। ...(व्यवधान)

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू) : अध्यक्ष महोदय, हमने नोटिस दिया था कि पूंछ जिले में अनइम्प्लायमैंट काफी है। हमारी मांग है कि वहां एक रेलवे रिजर्वेशन काउंटर खोला जाये। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Sharma, would you please sit down?

... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Would you take your seat or not?

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू) : अध्यक्ष महोदय, हम भी चुनकर आये हैं। ...(व्यवधान) हम अपने हल्के की बात उठाना चाहते हैं लेकिन आप हमें बोलने का मौका नहीं दे रहे इसलिए हम इसके विरोध में वाक आउट करते हैं।

12.21 hrs.

Shri Madan Lal Sharma then left the House.

MR. SPEAKER: Everyday I have given opportunity.

... (*Interruptions*)

श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी) : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि फसल का नुकसान तहसील स्तर पर आंकलन किया जाता है जिस कारण प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हुए किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाता।

भारत सरकार और राज्य सरकार के समन्वय से खरीफ र्वा 2003-04 से मध्य प्रदेश में फसल बीमा की इकाई पटवारी हल्का नम्बर लागू करने हेतु घोति की गई थी। परन्तु साधारण बीमा निगम के पास भारत सरकार का कोई स्वीकृति आदेश न पहुंचने से इसे साधारण बीमा निगम मानने को तैयार नहीं है जिसके कारण किसान वर्ग में बड़ी दिक्कत है। क्योंकि तहसील स्तर पर प्राकृतिक आपदा का मूल्यांकन किया जाता है। इस कारण किसानों को लाभ नहीं मिल पाता। इससे किसानों में आक्रोश व्याप्त रहता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इकाई पटवाली हल्का नम्बर लागू कराया जाये।